

2022/9

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-2-24	<p>पत्रावली वाले आरोप राज पेय हुई मूल मैगरानी धारिका में निर्णय हो जान ले स्पगान प्राणत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाये है अतः स्पगान प्राणत्र खारीज किया जाकर मूल मैगरानी के दाप नटकी है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Luuk</i> अति. जिला कलक्टर, पाली</p>	